प्रेषक,

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

प्रेषित,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत अल्मोड़ा।

संख्या– 7627 /तेरह–04/2014–15, दिनांकः 01 जुलाई, 2015

विषय– **जिला पंचायत अल्मोड़ा की परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक सचिवालय प्रशासन (लेखा) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–1253/ XXXI–14/ 2014–15, दिनांक 19 मार्च 2015 द्वारा जिला पंचायत अल्मोड़ा की परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु समय–समय पर की जा रही मांगों के सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली, 2013 के नियम–4(ग) के तहत आपदा की रोकथाम एवं आपदा की स्थिति में बेहतर प्रबन्धन एवं उसकी तैयारी के लिये किये जाने वाले कार्यों हेतु मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। मा0 मुख्यमंत्री जी राहत कोष से स्वीकृत उपरोक्त धनराशि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अल्मोड़ा को निम्ननानुसार शर्तों व प्रतिबन्धों के अन्तगर्गत उनके निवर्तन में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(1) मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(2) क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/सड़को के पुनरोद्धार व मरम्मत हेतु मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करायी गयी धनराशि से परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU)/कार्यदायी संस्था द्वारा पुनर्निर्माण कार्य वर्तमान में प्रचलित नियमों/शासन के पत्र संख्या–116/XXXI–14/2013–14, दिनांक 06.07.2013 तथा आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के शासनादेशों में समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये। यह भी देख लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(4) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण सक्षम स्तर द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि से किये जा रहे कार्यों के विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करते हुये इस कार्यालय व शासन को अवगत कराया जाए।

(6) मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्त–पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) सम्परीक्षा के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि के व्ययों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों का रख–रखाव पृथक रूप से किया जायेगा, जिसका भविष्य में विभाग द्वारा महालेखाकार की विभागीय सम्परीक्षा के समय सम्परीक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी।

(8) कार्य की प्रगति के प्रत्येक चरण पर कार्य की पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाए जिसके अन्तर्गत Third Party Quality control, Sampling, निरीक्षण में कमी पाये जाने की दशा में निरोधात्मक/दण्डनीय कार्यवाही गम्भीरतापूर्वक सुनिश्चित की जायेगी।

(9) उक्त धनराशि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अल्मोड़ा के पत्र सं0–597/मा0मुख्यमंत्री घोषणा/निर्माण/2015–16 के क्रम में अवमुक्त की जा रही है, स्वीकृत धनराशि की सदुपयोगिता का पूर्ण उत्तरदायित्व अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अल्मोड़ा का होगा।

(10)मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से आवंटित उल्लिखित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (FORM GFR 19-A) पर मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायें। धनराशि का पूर्ण उपभोग न होने की दशा में अवशेष धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शीघ्र मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड को वापस किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए–

1– उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के **शासनादेश संख्या–32–7/ 2014–NDM-I , दिनांक 08 अप्रैल 2015 (प्रति संलग्न) के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)** से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये हैं, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनरीक्षित दरें व मानक आपदा प्रबन्धन विभाग की वैबसाइट *www.ndmindia.nic.in* से भी डाउनलोड की जा सकती है।

2– **वास्तविक क्षति के कार्यों पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यों, नव निर्माण तथा विकास कार्यों में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।**

3– क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों एवं हल्का वाहन मार्गों के प्रस्तावों पर वास्तविक क्षति के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई एवं क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा प्रति किमी0 सड़क निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण हेतु मूल आंगणन के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

4– अश्व मार्ग जन सामान्य के उपयोग में सर्वथा सुलभ नहीं होते हैं। अतः अश्वमार्गों के प्रस्ताव पर राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि अश्व मार्गों का उपयोग पैदल मार्ग के रूप में जन सामान्य द्वारा उपयोग होता है तो इस स्थिति में आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृति हेतु संस्तुति की जा सकती है।

5– पैदल मार्गो के प्रस्तावों में वास्तविक क्षति के अनुरूप ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी। मार्ग की कुल लम्बाई, क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई तथा मार्ग की मरम्मत कहां से कहां तक होनी है, यह स्पष्ट किया जायेगा। लो0नि0वि0 द्वारा प्रति कि0मी0 सड़क मरम्मत हेतु निर्धारित मानकों आधार पर मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण हेतु अन्य आगणन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृत किये जाये।

6– आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराया जाय।

8– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणंनों में स्लिप लिखा गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन सक्षम अधिकारी/अभियन्ता स्वयं करें।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

11– **प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग**

की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध. प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0 आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12– कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टैण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य की गुणवत्ता/कार्य पूर्ण/संतोषजनक होने के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही संबंधित कार्य करने वाले को अन्तिम भुगतान किया जाये। कार्य पूर्ण होने पर मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से निर्मित दिनांक वर्ष तथा धनराशि सीमेन्ट कांक्रीट पर अंकित किया जायेगा।

14– कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण संबंधित उप जिलाधिकारियों से करवाया जायेगा। संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा गुणवत्ता/कार्य पूर्ण/संतोषजनक होने के प्रमाणीकरण के उपरान्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं Third Party निरीक्षण आख्या प्राप्त होने ***के पश्चात ही कुल स्वीकृत धनराशि का 25 प्रतिशत/अन्तिम भुगतान किया जाये***। कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। एतद्सम्बन्धी सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे व जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों की सम्परीक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी।

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–7627 /तेरह–04/2014–15, दिनांकः 01 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, देहरादून।
2. अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय प्रशासन, (लेखा) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, अनु0–06, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. महालेखाकार,उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. मा0 अध्यक्षा, जिला पंचायत, अल्मोड़ा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।
8. प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि पत्र संख्या–5192/तेरह–04/2014–15, दिनांक 09 अप्रैल 2015 के द्वारा जमा धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़) मात्र का चैक अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अल्मोड़ा के पदनाम से निर्गत कर उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा।
10. कार्यालय प्रति।

01.07.15
(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।